कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री तेजाराम व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि जेतावास, जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि गिराब, गडरारोड, बाडमेर किया गया। श्री तेजाराम ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 15748/2019 श्री तेजाराम बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15748/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.19 द्वारा याचिकार्थी श्री तेजाराम को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने के 10 दिवस के निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए। याचिकार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक माननीय न्यायालय द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.092019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के संबंध में स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री तेजाराम द्वारा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के पोस्ट पोलियो पॉलिसी लॉवर लिम्ब से ग्रसित होने, स्थानांतरित स्थान निवास स्थान से 400 किमी की दूरी पर एवम् माताजी के वृद्ध होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि मोहराकलां, रायपुर, पाली, राउमावि उचियार्डा, बिलाडा, जोधपुर, राउमावि उदलियावास, बिलाडा, जोधपुर एवम् राउमावि घानामगरा, बिलाडा, जोधपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी श्री तेजाराम व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि जेतीवास, बिलाडा, जोधपुर का समायोजन राउमावि मोहरा कलां, रायपुर, पाली किया जाता है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/स्थानांतरण/को.के/19–2015 दिनांकः– 23/10/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा............................ ।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा.............................. ।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, पाली को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री तेजाराम के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) .... ।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. .... ।
09. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)